

ऑपरेशन मेघ चक्र

प्रलिस के लयः

मेघ चक्र, चाइलड पोर्नोग्राफी, प्रोटेक्शन ऑफ चल्ड्रन अर्गेसुट सेकसुअल ऑफेंसेज़ एक्ट 2012 (पॉक्सो-अधनयः) ।

मेन्स के लयः

बाल यौन शोषण से संबंघतः मुद्दे और नवऱरक उपाय / पहल ।

चर्चा में क्यों?

एक ऑपरेशन जसका कोड-नाम "मेघ चक्र" है, न्यूज़ीलैंड के अधकऱरयः से प्राप्त जानकऱरी के आधऱर पर इंटरपोल की सगऱपुर वशऱष इकाई से प्राप्त जानकऱरी के बाद चलाया जा रहा है ।

- यह बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) के प्रसार और उसे साझा करने के खलऱफ [केंद्रीय जांच ब्यूरो \(CBI\)](#) द्वारा संचालतः एक अखलऱ भारतीय अभयऱन है ।

ऑपरेशन मेघ चक्र के प्रमुख बढुः

- 20 राज्यों और एक केंदुरशासतः प्रदेश में 59 स्थानों पर तलाशी ली गई ।
- यह आरोप लगाया गया है कबऱडी संख्या में भारतीय नागरकः कलाउड-आधऱरतः भंडऱरण का उपयोग करके बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) के ऑनलाइन संचलन , डाउनलोडगऱ और प्रसारण में शामिल थे ।
- इस ऑपरेशन का उद्देश्य भारत में वभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसयः से जानकऱरी एकतुर करना, वैश्वकः स्तर पर संबंघतः कानून प्रवर्तन एजेंसयः के साथ जुडना और इस मुद्दे पर इंटरपोल चैनलों के माध्मय से नकऱटता से समन्वय करना है ।
- जांच में 500 से अधकः समूहों की पहचान की गई थी, जनऱमें 5000 से अधकः अपराधी और लगभग 100 देशों के नागरकः भी शामिल थे ।
- नवंबर 2021 में CBI द्वारा "ऑपरेशन कार्बन" नामक ऐसे ही एक अभ्यास कोड का संचालन कयऱ गया था ।

बाल यौन शोषण से जुड़े मुद्दे:

- बहुसतरीय समस्या:** बाल यौन शोषण एक बहुसतरीय समस्या है जो बच्चों की शऱरीरक सुरकषा, मानसकः स्वास्थय, कल्याण और वयवहार संबंघी पहलुओं को नकारातुमक रूप से प्रभावतः करती है ।
- डजऱटल प्रौदुयगकऱरयः के कारण प्रवर्धन: मोबाइल और डजऱटल प्रौदुयगकऱरयः ने बाल शोषण एवं दुर्वयवहार को और बढा दयऱ है । ऑनलाइन शरऱरत, उत्पीडन तथा [चाइलड पोर्नोग्राफी](#) जैसे बाल शोषण के नए रूप भी सामने आए हैं ।
- अप्रभावी कानून:** हालौकः भारत सरकार ने [यौन अपराधों के खलऱफ बच्चों का संरक्षण अधनयः 2012 \(POCSO अधनयः\)](#) बनाया है, लेकनऱ यह बच्चों को यौन शोषण से बचाने में वफऱल रही है । इसके नमऱनलखऱतः कारण हो सकते हैं:
 - कम सजा दर: वगऱत 5 वर्षों के औसत को देखें तो लंबतः मामलों की संख्या 90% है, इस प्रकार POCSO अधनयः के तहत दोषसदऱधः की दर केवल 32% है ।
 - न्यायकः वलऱंब: कढुआ बलात्कार मामले में मुख्य आरोपी को दोषी ठहराने में 16 महीने लग गए, जबकऱ पॉक्सो अधनयः में स्पष्ट रूप से उल्लेख कयऱ गया है कऱपूरी सुनवाई और दोषसदऱधः की प्रकुरयऱ एक साल में पूरी की जानी है ।
 - बच्चे के लयः प्रतऱकूल: बच्चे की आयु-नरऱधारण से संबंघतः चुनौतयः। वशऱष रूप से ऐसे कानून जो जैवकः उमुर पर ध्यान केंदुरतः करते हैं, न कऱ मानसकः उमुर पर ।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधनयः, 2012:

- यह बच्चों के हतऱों की रकषा और भलाई के लयः बच्चों को यौन उत्पीडन, दुर्वयवहार एवं अश्लील साहतऱय के अपराधों से बचाने के लयः

अधिनियमिति कया गया था ।

- यह अठारह वर्ष से कम उमर के किसी भी व्यक्तिको बच्चे के रूप में परभाषति करता है और बच्चे के स्वस्थ शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास को सुनश्चित करने के लयि हर स्तर पर बच्चे के सर्वोत्तम हति तथा कल्याण को सर्वोपरि मानता है ।
- यह यौन शोषण के वभिन्न रूपों को परभाषति करता है, जसमें भेदक और गैर-मर्मज्ज हमले, साथ ही यौन उत्पीड़न एवं अश्लील साहित्य शामिल हैं ।
- ऐसा लगता है कि कुछ परस्थितियों में यौन आक्रमण बढ़ गए हैं, जैसे कि जब दुर्व्यवहार का सामना करने वाला बच्चा मानसिक रूप से बीमार होता है अथवा जब दुर्व्यवहार परवार के किसी सदस्य, पुलसि अधिकारी, शक्तिष्क या डॉक्टर जैसे वशिवसनीय लोगों द्वारा कया जाता है ।
- यह जाँच प्रक्रया के दौरान पुलसि को बाल संरक्षक की भूमिका भी प्रदान करता है ।
- अधिनियम में कहा गया है कि बाल यौन शोषण के मामले का नपिटारा अपराध की रपिर्ट की तारीख से एक वर्ष के भीतर कया जाना चाहयि ।
- अगस्त 2019 में बच्चों के खलिाफ यौन अपराधों के लयि मृत्यु दंड सहति कठोर सज़ा देने के लयि इसमें संशोधन कया गया था ।

संबंधति संवैधानकि प्रावधान:

- संवधान प्रत्येक बच्चे को सम्मान के साथ जीने का अधिकार (अनुच्छेद 21), व्यक्तगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21), नजिता का अधिकार (अनुच्छेद 21), समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14), भेदभाव (अनुच्छेद 15) और शोषण के वरिद्ध (अनुच्छेद 23 व 24) अधिकार की गारंटी प्रदान करता है ।
 - 6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लयि नःशुल्क और अनवार्य प्रारंभिक शक्तिष्क का अधिकार (अनुच्छेद 21 A) ।
- राज्य के नीति नदिशक सिद्धांतों और वशिष रूप से अनुच्छेद 39 (F) यह सुनश्चित करने के लयि राज्य पर एक दायतिव आरोपति करता है कि बच्चों को समग्र तरीके से स्वतंत्रता और गरमिपूरण स्थिति में वकिसति होने के अवसर एवं सुवधिाएँ प्रदान की जाएँ तथा बचपन व युवावस्था में शोषण तथा नैतिक एवं भौतिक परतियाग के वरिद्ध संरक्षण प्रदान कया जाए ।

संबंधति पहलें:

- बाल शोषण रोकथाम एवं जाँच इकाई
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
- कशिोर न्याय अधिनियम/देखभाल और संरक्षण अधिनियम, 2000
- बाल वविाह प्रतषिध अधिनियम (2006)
- बाल श्रम नषिध एवं वनियिमन अधिनियम, 2016

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न (PYQs):

भारत के संवधान में शोषण के खलिाफ अधिकार द्वारा नमिनलखिति में से कसिकी परकिलपना की गई है? (2017)

1. मानव तस्करी और बलात् श्रम का नषिध
2. असपृश्यता का उन्मूलन
3. अल्पसंख्यकों के हतियों की रक्षा
4. कारखानों और खदानों में बच्चों के नयिोजन पर रोक

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1, 2 और 4
- (b) केवल 2, 3 और 4
- (c) केवल 1 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- संवधान के भाग III (मौलिक अधिकार) के तहत अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के खलिाफ अधिकार से संबंधति हैं ।
- अनुच्छेद 23 में मानव के अवैध व्यापार और बलात् श्रम पर रोक लगाने का प्रावधान है । इसमें कहा गया है किमानव तस्करी एवं बेगार तथा इसी तरह के अन्य प्रकार के जबरन श्रम नषिदिध हैं, इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा । अतः कथन 1 सही है ।
- अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बच्चों के नयिोजन पर रोक लगाने का प्रावधान है । इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उमर के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लयि या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा । अतः कथन 4 सही है ।

अतः वकिलप (c) सही है ।

[स्रोत: द ह्रि](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/megh-chakra-operation>

